भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2568

उत्तर देने की तारीख: 19.12.2023

अनुसूचित जातियों (अजा) के कल्याण हेतु योजनाएँ

2568. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विशेषकर झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत झारखंड, बिहार में सीतामढ़ी और भागलपुर, महाराष्ट्र में अमरावती, हरियाणा में सोनीपत संसदीय क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में लक्ष्य की तुलना में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): विभाग के कल्याणकारी प्रयास मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के पीड़ितों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त और घुमंतू जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) सहित समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर सर्वाधिक गरीब परिवारों की आवश्यकताओं पर केंद्रित हैं। इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमें निम्नवत हैं:

1. **एस सी तथा अन्यों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम** - इस स्कीम के दो घटक हैं:

   I. घटक 1: एस सी छात्रों के लिए मैट्रिक- पूर्व छात्रवृत्ति

II. घटक 2: अस्वच्छ एवं परिसंकटमय व्यवसाय में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक- पूर्व छात्रवृति

2. **एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम (पीएमएस-एससी)**

3. **यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम (श्रेयस)**

"श्रेयस" की अम्ब्रेला स्कीम में 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप-स्कीम शामिल हैं

I. एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा
II. एससी तथा ओ बी सी के लिए नि: शुल्क कोचिंग स्कीम
III. एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज़ स्कीम
IV. एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति

4. **प्रधानमंत्री-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)**

5. **लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु स्कीम (श्रेष्ठ)**

6. **अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु उद्यम पूंजी निधि**

7. **अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम (सीईजीएसएससी)**

अनुसूचित जाति तथा अन्यों के लिए मैट्रिक- पूर्व छात्रवृति स्कीम और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम (पीएमएस-एससी) के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी होता है। राज्य सरकारों द्वारा अपने मांग प्रस्ताव/वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में लक्ष्य(वास्तविक-लाभार्थियों की संख्या और वित्तीय-केंद्रीय शेयर राशि) प्रदान किए जाते हैं। एएपी में, लक्ष्य राज्य-वार प्रदान किए जाते हैं (जिला-वार नहीं)। इसके अलावा, ये स्कीमें खुली अवधि की तथा मांग आधारित हैं इसलिए केंद्रीय सरकार स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को छात्रवृति प्रदान करती है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

8. **'भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का व्यापक पुनर्वास' हेतु आजीविका तथा उद्यम के वास्ते लाभवंचित लोगों के लिए सहायता (स्माइल) उप-स्कीम - अनुबंध-II**

9. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) - अनुबंध-III**

10. **वाइब्रेंट इंडिया हेतु प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम एवं ओबीसी के लिए श्रेयस**

केन्द्रीय सरकार स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को पात्र केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। स्कीमें इस प्रकार हैं :-

- **पीएम-यशस्वी स्कीम**

  i. ओबीसी/ईबीसी तथा डीएनटी बालकों और बालिकाओं के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।
  ii. ओबीसी/ईबीसी तथा डीएनटी बालकों और बालिकाओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
  iii. ओबीसी/ईबीसी तथा डीएनटी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
  iv. ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी छात्रों के लिए महाविद्यालयों में उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम।
  v. ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी छात्रों के लिए विद्यालयों में उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम।

- **श्रेयस स्कीम**

  ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

  ओबीसी एवं ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर डॉ. अम्बेडकर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम।

इन स्कीमों के लिए प्रदत्त, आवंटित तथा जारी की गई कुल निधियों का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2568 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

समाज के अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. **एस सी तथा अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम -**

राज्य	वास्तविक लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (केंद्रीय हिस्सा) (करोड़ रुपये में)
बिहार	5,65,405	61.06
हरियाणा	योजना को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं	
जम्मू एवं कश्मीर	21,993	1.47
झारखंड	61,136	16.50
महाराष्ट्र	1,20,504	27.81

2. **एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम**

अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		
राज्य	वास्तविक लक्ष्य (संख्या लाख में)	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रुपये में)
बिहार	1,69,996	69.89
हरियाणा	86,555	156.37
जम्मू एवं कश्मीर	11,000	6.75
झारखंड	59,310	39.03
महाराष्ट्र	4,01,000	646.24

3. **श्रेयस (यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति) स्कीम**

"श्रेयस" की अम्ब्रेला स्कीम में 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप- स्कीमें शामिल हैं नामत: "एस सी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा", "एस सी तथा ओ बी सी के लिए नि: शुल्क कोचिंग स्कीम", "एस सी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज़ स्कीम" तथा "एस सी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति"।

I. **एससी एवं ओबीसी के लिए नि:शुल्क कोचिंग स्कीम**: का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आर्थिक रूप से लाभवंचित उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रतिस्पर्धी तथा प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकें।

उपलब्धियाँ-व्यय (रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट	जारी राशि/व्यय (रुपये में)	बजट का % उपयोग	लाभार्थियों की संख्या
2020-21	30.00	11.96	39.86	2112
2021-22	50.00	14.98	29.96	1761
2022-23	47.00	18.40	39.14	558
2023-24	47.00	2.82	6.00	71

II. एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई से लेकर पाठ्यक्रम पूरा होने तक पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्वीकारना तथा बढ़ावा देना है। आय सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। वर्तमान में, 266 सरकारी/निजी संस्थान सूचीबद्ध हैं।

उपलब्धियाँ-व्यय (रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट	व्यय	बजट का % उपयोग	लाभार्थियों की संख्या
2020-21	52.00	52.00	100.00	3118
2021-22	70.00	84.00	120.00	4544
2022-23	108.00	85.67	79.32	4171
2023-24	111.00	6.12	5.51	215

III. एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज़ स्कीम इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों-, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों के चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 125 स्लॉट आवंटित किए गए हैं।

उपलब्धियाँ-व्यय (रू. करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	स्लॉट	चयनित उम्मीदवार	बजट अनुमान (करोड़ में)	संशोधित अनुमान (करोड़ में)	व्यय व्यय किया हुआ (करोड़ में)
1	2019-20	100	100	20.00	20.00	28.56
2	2020-21	100	100	20.00	30	32.92
3	2021-22	125	125	30.00	35	49.07
4	2022-23	125	125	36.00	50	86.59
5	2023-24	125	125	50.00	-	47.22 (08.12.2023 के अनुसार)

IV. एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति

इस स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त

भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एमफिल/पीएचडी डिग्री हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को अध्येतावृति प्रदान की जाती है। यह स्कीम प्रति वर्ष ऐसे अध्येताओं को 2000 नए स्लॉट (विज्ञान विषय के लिए 500 तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 1500) प्रदान करती है, जिन्होंने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा- जूनियर रिसर्च फेलोशिप (एनईटी-जेआरएफ) उत्तीर्ण की है और विज्ञान विषय के ऐसे जूनियर रिसर्च फेलो जिन्होंने यूजीसी- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) संयुक्त परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की है।

उपलब्धियाँ (रू. करोड़ में)

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत बजट अनुमान और व्यय और लाभार्थी			
वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	मंत्रालय द्वारा जारी किया गया फंड (करोड़ रुपये में)	फैलोशिप प्रदान की गई कुल
2019-20	360.00	246.66	2366*
2020-21	300.00	118.99	4841*(विलय चक्र)
2021-22	300.00	122.39	1932*(विलय चक्र)
2022-23	173.00	114.25	1612*(विलय चक्र दिसम्बर, 2021 और जून, 2022) + 260 (सीएसआईआर जून, 2022)
2023-24	163.00	110.96	945 (यूजीसी नेट) दिसंबर 2022 परीक्षा) +828 (जून 2023) 1773
*पिछले वर्षों के रिक्त स्लॉट आगे बढ़ाए गए और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि का उपयोग किया गया			

4. **प्रधानमंत्री- अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)** - पीएम-अजय अनुसूचित जाति केंद्रित स्कीम है जिसमें गरीबी को कम करने, अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार करने, साक्षरता बढ़ाने और स्कूलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार/संघ राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रू. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	झारखंड	0.00	6880.00	0.00	0.00	6880.00
2	बिहार	0.00	0.00	5653.50	0.00	5653.50

3	महाराष्ट्र	0.00	1170.05	2861.07	0.00	4031.12
4	हरियाणा	2146.80	0.00	0.00	0.00	2146.80
5	जम्मू एवं	100.00	40.63	0.00	0.00	140.63
कुल		2246.8	8090.68	8514.57	0.0	18852.05

5. **लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु स्कीम (श्रेष्ठ)** यह स्कीम दो मोड में कार्यांवित की जा रही है। मोड- I में, प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ राज्यों में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की एक निर्दिष्ट संख्या (3000) को राष्ट्रीय परीक्षण परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एनईटीएस) के माध्यम से चुना जाता है तथा 9वीं और 11वीं कक्षा में सीबीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है।मोड-2 में, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विद्यालय/छात्रावास परियोजनाओं को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम व्यापक रूप से 3 प्रकार की परियोजनाओं को कवर करती है, यथा (i) आवासीय विद्यालय (ii) गैर आवासीय विद्यालय और (iii) प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों के लिए छात्रावास।

गत 3 वर्षों तथा इस वर्ष श्रेष्ठ के अंतर्गत जारी की गई निधियों तथा लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बीई	आरई	व्यय	लाभार्थी
1	2020-21	100	125.00	56.05	38250
2	2021-22	200	63.21	38.04	20435
3	2022-23	89	89.00	51.12	16479
4	2023-24 *	104.65	-	52.46	7543

*दिनांक 08.12.2023 तक

6. **अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु उद्यम पूंजी निधि**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के लिए संपत्ति और मूल्य के सृजन हेतु रियायती वित्त प्रदान करने तथा साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि के लिए अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि की स्थापना की है। एससी छात्रों/युवाओं (एससी महिला युवाओं सहित) के मध्य उद्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वीसीएफ-एससी के अंतर्गत "अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)" आरंभ किया गया है। उपर्युक्त स्कीमें पूरे देश में संचालित तथा लागू हैं। यह स्कीम मांग आधारित है तथा इसलिए किसी राज्य विशेष के लिए मंजूरी/वितरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

वीसीएफ एससी के अंतर्गत-10 लाख रुपए से 15 करोड़ रुपए, वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत 20 लाख रुपए से 15 करोड़ रुपए और एएसआईआईएम के अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अब तक इन स्कीमों के अंतर्गत बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र को क्रमशः 8.35 करोड़ रुपए, 9.75 करोड़ रुपए और 113.37 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।

7. **अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम (सीईजीएसएससी)**

अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम (सीईजीएसएससी) अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सदस्य ऋण संस्थानों (बैंकों) द्वारा स्वीकृत ऋण के लिए ऋण गारंटी प्रदान करती है। अब तक 63 अनुसूचित जाति उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित संस्थाओं को इस स्कीम से लाभ हुआ है, जिन्होंने बदले में व्यवसाय और रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। एमएलआई द्वारा 107.38 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए गए हैं, जिसमें 70.80 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटी प्रदान की गई है। अब तक महाराष्ट्र में एससी उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 5 संस्थाओं को एमएलआई द्वारा 7.54 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें स्कीम के अंतर्गत 5.82 करोड़ रुपए का गारंटी कवर प्रदान किया गया है।

*****

स्माइल-भिक्षावृत्ति स्कीम

'भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के व्यापक पुनर्वास' के लिए आजीविका तथा उद्यम हेतु लाभवंचित लोगों की सहायता (स्माइल) संबंधी उप-स्कीम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में "आजीविका तथा उद्यम हेतु लाभवंचित लोगों की सहायता-स्माइल" नामक अम्ब्रेला स्कीम आरंभ की है जिसमें 'भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के व्यापक पुनर्वास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम' नामक उप-स्कीम शामिल है। इस उप-स्कीम में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) एवं संस्थाओं तथा अन्यों की सहायता से पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक लिंकेज आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के कल्याण संबंधी उपायों सहित अनेक व्यापक उपाय शामिल हैं। उपर्युक्त उप-स्कीम को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की विभिन्न स्कीमों के प्रभावी संवर्धन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25.10.2023 को जारी दिशानिर्देशों द्वारा हाल ही में संशोधित किया गया है।

लक्षित समूह : भारत का कोई भी नागरिक जो देश में विशेष रूप से तीर्थ/धार्मिक स्थानों, ऐतिहासिक, पर्यटन स्थलों, बड़े शहरों/कस्बों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में भिक्षावृत्ति में लिप्त हो, उसे इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। भिक्षावृत्ति में लिप्त महिलाओं तथा बच्चों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

उद्देश्य: देश को 'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत' बनाना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकायों/नगर निगमों और इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य हितधारकों तथा बड़े पैमाने पर जनता जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वित कार्रवाई करते हुए अभिसरण के माध्यम से एक कार्यनीति बनाना ताकि भिखारियों को गरिमा तथा आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए समाज की मुख्यधारा में पुन: शामिल किया जा सके।

घटक : इस स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं:-

i. भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का सर्वेक्षण तथा पहचान:

- व्यक्तियों/लाभार्थियों का सर्वेक्षण तथा पहचान संबंधी कार्य कार्यान्वयन प्राधिकरणों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/डीएम) द्वारा नियुक्त **कार्यान्वयन एजेंसियों/वीओ/एनजीओ** द्वारा किया जाएगा।
- व्यापक तथा विस्तृत सूचना के संकलन के लिए **एकसमान सर्वेक्षण प्रपत्र** निर्धारित किया गया है जिसका बाद में राष्ट्रीय डाटाबेस को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाएगा।

ii. **भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों की लामबंदी:**

सर्वेक्षण के पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां/वीओ/एनजीओ आश्रय गृहों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों **की लामबंदी** हेतु आउटरीच कार्य, जागरूकता शिविरों का आयोजन करेंगे।

iii. **आश्रय-गृह:**

कार्यान्वयन एजेंसियों/वीओ/एनजीओ द्वारा आश्रय-गृहों में भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के लिए आश्रय, पुनर्वास, स्वच्छता, भोजन, कपड़े, बिस्तर, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श तथा शिक्षा जैसी मूल सेवाओं की पूरी श्रृंखला का प्रावधान किया जाएगा।

iv. **पुनर्वास:**

भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्थापन की सुविधा उपलब्ध कराना ताकि वे वैतनिक अथवा स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें तथा समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपने परिवारों में वापस जा सकें।

इस स्कीम को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकायों/नगर निगमों और भिक्षावृत्ति निवारण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। वर्तमान में इस स्कीम को चिह्नित 30 शहरों/कस्बों में कार्यान्वित किया जा रहा है (राज्यों/संघ राज्यों को अनुबंध-क पर देखा जा सकता है)।

अनुबंध-क

धार्मिक स्थलों/शहरों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर का नाम	संबंधित धार्मिक प्राधिकारी और	ज़िला
1.	महाराष्ट्र	त्र्यंबकेश्वर	जिला/नगरपालिका	नासिक
2.	बिहार	बोधगया	प्रशासन	गया

पर्यटन स्थलों/शहरों की सूची

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	शहर का नाम	जिला
1.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर

ऐतिहासिक स्थानों/शहरों की सूची

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्थान का नाम	जिला
1.	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला

अनुबंध-III

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत शीर्षस्थ निगम है, जो अपनी विभिन्न ऋण और गैर-ऋण आधारित स्कीमों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों (कूड़ा बीनने वालों सहित), मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों सहित अपने लक्ष्य समूह के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रहा है।

एनएसकेएफडीसी विभिन्न आय सृजन कार्यकलापों के लिए अपनी विभिन्न ऋण स्कीमों के अंतर्गत अपने लक्ष्य समूह को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसकेएफडीसी की विभिन्न ऋण स्कीमों के अंतर्गत वितरित निधियों और लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए लाख में)

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24 (दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार)	
	वित्तीय	लाभार्थी	वित्तीय	लाभार्थी	वित्तीय	लाभार्थी	वित्तीय	लाभार्थी
झारखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	300.80	205	846.00	127
हरियाणा	40.14	38	34.66	36	38.89	42	14.04	17
जम्मू और कश्मीर	0.00	0	671.63	241	0	0.00	0.00	0

एनएसकेएफडीसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में निधियों का राज्य-वार सैद्धांतिक आवंटन करता है, तथापि, जिला-वार लक्ष्य संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

बीसी-I अनुभाग की स्कीमों का वर्ष 2014-15 से आगे के बीई/आरई वित्तीय और वास्तविक का ब्यौरा (दिनांक15.12.2023 तक)

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय (करोड़ में)	वास्तविक (लाख में)
1.	2014-15	150.00/116.63	109.56	72.81
2.	2015-16	150.00/135.90	120.79	48.67
3.	2016-17	142.00/130.00	129.14	152.05
4.	2017-18	142.00/142.00	128.23	50.94
5.	2018-19	232.00/132.00	121.84	114.81
6	2019-20	220.00/220.00	201.57	94.52
7.	2020-21	250.00/175.00	165.91	161.80
8.	2021-22	250.00/250.00	218.29	58.62
9.	2022-23	478.00/394.61	361.37	21.727 (अनंतिम)
10.	2023-24	281.00/-	21.86	अगले वर्ष के प्रस्ताव के साथ राज्य/ संघ राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया डाटा

2. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :**

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय	वास्तविक (लाख में)
1.	2014-15	785.00/790.13	780.53	44.07
2.	2015-16	885.00/885.00	822.75	44.43
3.	2016-17	885.00/885.00	875.87	39.79
4.	2017-18	885.00/885.00	829.62	39.68
5.	2018-19	1100.00/983.25	1000.46	43.12
6.	2019-20	1360.00/1397.50	1299.33	40.94
7.	2020-21	1415.00/ 1100.00	1159.24	46.075
8.	2021-22	1300.00/1300.00	1320.14	38.04
9.	2022-23	1083.00/1083.00	1005.61	25.55 (अनंतिम)
10.	2023-24	1087.00/-	172.00	अगले वर्ष के प्रस्ताव के साथ राज्य/संघ राज्य द्वारा प्रस्तुत डाटा

3. **ओबीसी बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की केंद्र प्रायोजित स्कीम:**

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय (करोड़ में)	सीटों की संख्या
1.	2014-15	---	30.21	2950
2.	2015-16	---	40.29	2800
3.	2016-17	----	40.00	2719
4.	2017-18	40.00/40.00	42.50	600
5.	2018-19	50.00/30.00	36.05	900
6.	2019-20	30.00/30.00	21.29	1750
7.	2020-21	50.00/35.00	31.59	3000
8.	2021-22	30.00/30.00	18.77	2050
9.	2022-23	20.00/20.00	18.80	1800
10.	2023-24	30.00/-	9.42	1146

4. **ओबीसी छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:**

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय	वास्तविक
1.	2014-15	11.00/11.00	9.43	-
2.	2015-16	6.20/18.30	18.30	409
3.	2016-17	27.00/27.00	27.00	900
4.	2017-18	40.00/40.00	20.00	910
5	2018-19	110.00/30.00	30.00	679
6	2019-20	70.00/52.50	52.50	1192
7	2020-21	120.00/45.00	33.00	1233
8.	2021-22	100.00/60.00	55.55	1338
9.	2022-23	53.00/53.00	51.32	1570
10.	2023-24	57.00/-	50.90	1596

5. **अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) हेतु ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (मास्टर्स,एम.फिल., पीएच.डी. स्तर):**

यह स्कीम वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित की जा रही है।

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय (करोड़ में)	वास्तविक
1.	2014-15	6.00/1.00	0.89	173
2.	2015-16	6.60/1.00	0.99	776
3.	2016-17	2.00/3.00	2.90	1000
4.	2017-18	4.30/4.30	19.87	1820
5.	2018-19	10.00/10.00	10.00	3163
6.	2019-20	15.00/26.09	26.09	3296
7.	2020-21	35.00/35.00	32.61	4342
8.	2021-22	30.00/30.00	26.70	6564
9.	2022-23	27.00/27.00	23.98	2734
10.	2023-24	29.00/-	-	-

6. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों हेतु विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (9वीं, 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए):

यह स्कीम वर्ष 2022-23 से आरंभ की गई है।

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय (करोड़ में)	वास्तविक
	2022-23	83.39	1.84	1275
	2023-24	100.00	-	-

यह स्कीम वर्ष 2022-23 से आरंभ की गई है।

7. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों हेतु महाविद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षा की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम:**

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय (करोड़ में)	वास्तविक
1	2023-24	90.00	-	-

यह स्कीम वर्ष 2023-24 से आरंभ की गई है।

****